

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/2018 /  
दो-14-106/17

जबलपुर, दिनांक 14/09/2020

श्री दीपक कुमार मालवीय, जुड़िशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर और जिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/2316/दो-14-106/17, जबलपुर दिनांक 10.05.2019 द्वारा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त (वर्गीकरण, नियन्त्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत इनकी आगामी देय दो वार्षिक वेतनवृद्धियां भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया गया था' के विरुद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 17.05.2019 को आशिक रूप से स्वीकार करते हुये पूर्व अधिरोपित शासित को संशोधित करते हुये "परिनियंत्रण (Censure)" के दण्ड से दण्डित करते हुये चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में त्रुटि की पुनरावृत्ति ना करें।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

  
॥१९.८.२०२०॥  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल  
Par

पृष्ठांकन क्रमांक A/2019 /  
दो-14-106/17

जबलपुर, दिनांक 14/09/2020

प्रतिलिपि :-

- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर, इंदौर, म.प्र.
- रजिस्ट्रार प्रशा/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
- ज्वाइट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- असिस्टेंट रजिस्ट्रार, (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- रजिस्ट्रार जनरल/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- रजिस्ट्रार न्यायिक-1 महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जुड़ि.) स्था/लेखा/बजट/पेशन, उच्च न्या. म.प्र. जबलपुर,
- सहायक स्था./अवकाश/सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
- श्री दीपक कुमार मालवीय, जुड़िशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर म.प्र. की ओर माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेश की प्रतिलिपि सहित, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोग्यता।

  
14.09.2020  
(दीपक वंसल)  
रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)  
Par